



गाली गलौज से आजिज आकर की थी ईंट से कुचलकर हत्या

-रविवार रात थाना नजीराबाद क्षेत्र में हुई थी हत्या

-पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया

कानपुर। जरा से विवाद में शुरू हुए गाली गलौज से आजिज आकर रमन ने फूलबदन की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। थाना नजीराबाद क्षेत्र में इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने महेश 24 घंटे के अंदर कर दिया है। पुलिस हत्यारे अभियुक्त को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर रही है।

घटनाक्रम के मुताबिक दिनांक 27.02.2023 को वादी विशाल चौहान पुत्र फूलबदन चौहान नि० 1/22 लक्ष्मी रतन कालोनी थाना नजीराबाद द्वारा कन्ट्रोल रूम में सूचना दी गयी कि उनके पिता फूलबदन चौहान को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईंट मारकर हत्या कर दी है तथा शव नाली में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आस पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरो को देखा तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करके शक के आधार पर पूछताछ हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त रमन गुप्ता पुत्र धनेश प्रसाद गुप्ता नि० लक्ष्मीरतन कालोनी थाना नजीराबाद कानपुर नगर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने अभियुक्त को 28.02.2023 को समय लगभग 07.00 बजे मरियमपुर देशी शराब ठेके के पास से हिरासत में लिया गया।

रमन ने पुलिस को बताया कि मैं एल्युमिनियम दरवाजे खिडकी का काम करता हूँ और शराब पीता हूँ। दिनांक 26.02.2023 की रात को भी मैंने दारू पी थी और मैं जहां सोता हूँ उसी के नीचे फूलबदन चौहान भी सोता था जब मैं रात में आया तो देखा कि मेरे बिस्तर पर मेरा कम्बल नहीं है। इस पर मैंने फूलबदन से पूंछा तो फूलबदन मुझे गाली देने लगा और उस पर मुझे गुस्सा आ गया मैंने भी उसे गाली दी लेकिन वह रुक रुक कर मुझे गाली देता ही जा रही था। यह सिलसिला रात को 03-04 बजे तक चलता रहा जब यह पेशाब करने के लिए उठा तो इसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया और जाकर नाली में पेशाब करने लगा तो रमन को भी गुस्सा आ गया तो उसे नाली में धक्का दे दिया तो वह उसी नाली में गिर गया लेकिन उसकी गाली इसकी फिर भी बन्द नहीं हुई तो मैंने वही पास में पड़ा हुआ ईंट उठा करके उसके सर में एक दो बार मार दिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अभियुक्त को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है।

नाम पता अभियुक्त रमन गुप्ता पुत्र स्व० गनेश प्रसाद गुप्ता नि० लक्ष्मीरतन कालोनी फोक्स बैगन शोरूम की बाउण्ड्री के पास थाना नजीराबाद कानपुर नगर मूलपता ग्राम पुरवा थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र लगभग 42 वर्ष

अपराधिक इतिहास-मु०अ०सं० 35/2023 धारा 302 आईपीसी थाना नजीराबाद कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

एसओ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 डीशू भारती थाना नजीराबाद, का0 नवीन कुमार थाना नजीराबाद शामिल रहे।